न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– घासीराम वगैरह पिता मेवाराम,नाथीदेवी पत्नी सुवाराम,अभिषेक वगैरह पिता सुवाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तह.रूपनगढ

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 93 / 17

निर्णय दिनांक 20 / 12 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के ख.न. 1651 / 1,1652,एंव 1655 रकबा क्रमश 0.0822है,0.07 है,व 0.17 है. कुल रकबा 0.3222 है भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में बाड़ लगाकर खेत में मिलाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीयो को नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीयों की तरफ से श्री अभिभाषक श्री मनफुल भादू ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एंव जबाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में दिया जाता है। अभिभाषक ने दिनांक 18.12.2017 को उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.3222 है. भूमि के 5 रूपये लगान का 50 गुणा 250 /– अक्षरे दो सौ पच्चास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

मांग पंजी वर्ष 2017-18 के पृष्ठ सं. 6
क्र. सं. 250
तहसील राजस्व लेखाकार